न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 44/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

हजारी आ0 मोडू जाति रेगर निवासी ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी (राज0)।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी (राज0)।
..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शंभूदयाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 105/प्रार्थना पत्र/2014 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली बनाम हजारी आ0 मोडू जाति रेगर नि0 ग्राम सिंधाडी तह0 हिण्डोली मे पारित निर्णय दिनांक 31.7.2015 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 12.11.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ख0 नं0 920/49 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा ग्राम सिंघाडी तह0 हिण्डोली स्थित कृषि भूमि का आवंटन किया गया। आंवटित भूमि गेरमुमकिन बरडा नाकाबिल काश्त होने तथा आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने से तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र नियम 14 (4) दिनांक 31.7.2015 को स्वीकार कर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि जेरअपील आदेश वस्तुस्थिति व विधान तथा प्रकिया के सर्वथा विपरीत है। अपीलांट को आवंटित भूमि असिंचित बारानी भूमि है। अतः आवंटित भूमि काबिल काश्त नही होना तथा आवंटन शर्तो का उल्लघंन मानते हुये आवंटन आदेश विधि विरूद्ध निरस्त किया है। अपीलांट आंवटन के समय से ही उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है बरसाती फसल उक्त भूमि मे पैदा कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है। ऐसी स्थिति मे भूमि पर कब्जा नही मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। तहसीलदार ने पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश की है जबकि तहसीलदार को भूमि का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करना चाहिये था। मौके पर कब्जे काश्त के संबध मे भी कोई जांच नही की गई। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

नियम विरूद्ध है। आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने का दायित्व अपीलांट का नही है वरन राजस्व कर्मचारीयों की त्रुटि है। आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने संबधी गलती का खामियाजा अपीलांट को नही दिया जा सकता। आवंटन सलाहकार समिति के वांछित सदस्यों के आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर है। आवंटन के 10 वर्ष बाद आवंटी "बाई आपरेशन ऑफ लॉ" खातेदार बन जाता है। अपीलांट के आवंटन को 40 वर्ष हो चुके है ऐसी स्थिति मे 40 वर्ष बाद आवंटन को खारिज किया जाना विधिसम्मत नही है। आवंटन मिस फोडनेस तथ्यों को छुपाकर नही करवाया है इतनी अवधि के बाद केवल कपट पूर्व करवाये गये आवंटन ही निरस्त किया जाता सकता है। अपीलांट ने कोई तथ्य नही छिपाया है। ऐसी स्थिति मे भी अधीनस्थ न्यायालय आवंटन निरस्त करने मे विधिक भूल की है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। केवल तामील की खानापूर्ति करके अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर आवंटन निरस्त किया है। अपीलांट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ है अतः नैसर्गिक न्याय के अधिकार का हनन करते हुये निर्णय पक्षीय रूप से पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं0 105/14 मे पारित निर्णय दिनांक 31.7.15 निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन यथावत रखते हुये खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस की तामील कराये बिना अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर जेरअपील निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। अतः जेरअपील आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर आवंटन को यथावत रखा जावे तथा अपीलांट को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे कथन किया कि आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही है, आवंटित भूमि नाकाबिल काश्त गैरमुमकिन बरडा है जो कृषि योग्य नही है। उक्त तथ्यों के आलोक मे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। ऐसी स्थिति मे अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय करने से पूर्व मियाद के बिन्दू का विनिश्चिय किया जाना न्यायोचित है। चूंकि उक्त निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है ऐसी स्थिति मे पटवारी हल्का के बताने पर 30.11.2018 को सर्वप्रथम जानकारी होना वर्णित करते हुये अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे मौजूद नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि भूमि ख0 नं0 920/49 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा ग्राम सिंघाडी तह0 हिण्डोली को दिनांक 12.11.1975 को अपीलार्थी हजारी आ0 मोडू जाति रेगर नि0 सिंघाडी तहसील हिण्डोली को आवंटन किया गया था। उक्त आंवटित भूमि गेरमुमकिन बरडा नाकाबिल काश्त होने तथा आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) अन्तर्गत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अति0 जिला कलक्टर बूंदी के यहां प्रस्तुत किया गया। अति0 जिला कलक्टर बूंदी ने तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 31.7.2015 को स्वीकार कर हजारी आ0 मोडू को हुये कृषि भूमि आवंटन को निरस्त किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि "अपीलांट आंवटन के समय से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि से बरसाती फसल पैदा कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है ऐसी स्थिति मे भूमि पर कब्जा नही मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। तहसीलदार ने मौके पर जाकर भूमि का भौतिक सत्यापन तथा कब्जे काश्त के संबध मे कोई जांच नही की। पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने का दायित्व अपीलांट का नही है इसका खामियाजा अपीलांट को नही दिया जा सकता। आवंटन के 10 वर्ष बाद आवंटी "बाई आपरेशन ऑफ लॉ" खातेदार बन जाता है। ऐसी स्थिति मे 40 वर्ष बाद आवंटन को अपीलांट की प्रोपर तामील कराये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित कर आवंटन खारिज किया जाना विधिसम्मत नही है। अपीलांट के उक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, जेरअपील निर्णय का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एंव उसके अभिभाषक बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर 22.7.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही की हैं। अतः अपीलांट का यह तर्क की उसको नोटिस की तामील नही हुई तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया मुताबिक आदेशिका एंव दस्तावेजात स्वीकार योग्य नही है किन्तु यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 40 वर्ष पश्चात निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत 14(4) की कार्यवाही का औचित्य, तथा आवंटित भूमि पर तहसीलदार द्वारा कब्जे का भौतिक सत्यापन किये बिना व आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने के लिये उत्तदायी जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसे हम न्यायोचित नही पाते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं0 105/प्रा0/14 मे पारित निर्णय दिनांक 31.7.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि "तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपीलांट को हुये कृषि भूमि के आवंटन दिनांक 12.11.1975 के विरूद्ध लगभग 40 वर्ष बाद आवंटन निरस्तीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे नियम 14 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तुत की है जिसका 40 वर्ष बाद क्या औचित्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे आवंटन समिति/आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नही होना वर्णित किया है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

क्या आवंटी को इसकी सजा मिलनी चाहिये। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली स्वयं मौके पर जाकर तथ्यों का सत्यापन करे कि भूमि पर आवंटी का कब्जा है या नही तथा भूमि वर्गीकरण "बरडा" होना क्या आवंटन के लिये प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मे आता है। तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा